

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 2(1)स्था/निकाशि/07

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.10(11)/शिक्षा/(गुप-3)/2012 दिनांक 31.08.12 के क्रम में मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्र परिपत्र क्रमांक एफ15(3)म.क./दहेज/सान्याअवि/12/51719 दिनांक 11.07.2012 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ 15(3) म.क./दहेज/सान्याअवि/12/59915-60015 दिनांक 17.08.2012 के अनुसरण में इस निदेशालय में कार्यरत संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के नियम संख्या 6 उपनियम-4(i) के प्रावधानुसार सरकारी सेवक अपने विवाह के पश्चात् यह कथन करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है। घोषणा पत्नी, पिता और ससुर द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

20-

निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव, उच्च
शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 2(1)स्था/निकाशि/07/1884-1889

दिनांक:- 17-9-12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, निदेशक कॉलेज शिक्षा, एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.10 (11)/शिक्षा/(गुप-3)/2012 दिनांक 31.08.2012 के क्रम में।
3. मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ 15(3)म.क./दहेज/सान्याअवि/12/59915-60015 दिनांक 17.08.2012 के क्रम में।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को पालनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली।

सियल

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।